स0सं0–1/विविध–10/2019–98 (7A)

बिहार सरकार

स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक,

शंभु शरण,
सरकार के अपर सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार (ले0 एवं ह0),
वीरचन्द पटेल पथ, पटना।

द्वारा– आंतरिक वित्तीय सलाहकार।

पटना, दिनांक–24/02/2026

विषयः– "विकसित बिहार के सात निश्चय" अंतर्गत राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, बेगूसराय के निर्माण हेतु बिहार चिकित्सा सेवाएँ एवं आधारभूत संरचना निगम लि0, पटना से प्राप्त रु0 560.9374 करोड़ के प्राक्कलन एवं तकनीकी अनुमोदन के विरूद्ध वित्तीय वर्ष 2018–19 में कुल रु0 515,00,00,000/– (रुपये पाँच सौ पन्द्रह करोड़) मात्र की लागत पर स्वीकृत योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2025–26 में "Scheme for Special Assistance to State for Capital Investment for 2025–26 Under Part-I" अंतर्गत द्वितीय किस्त के रूप में विमुक्त राशि के विरूद्ध अवशेष राशि रु0 10,00,00,000/–(रुपये दस करोड़) मात्र के व्यय की स्वीकृति।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के सबंध मे कहना है कि "विकसित बिहार के सात निश्चय" अतर्गत राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय एव अस्पताल, बेगूसराय के निर्माण हेतु बिहार चिकित्सा सेवाएँ एवं आधारभूत सरचना निगम लि0, पटना से प्राप्त रु0 560 9374 करोड के प्राक्कलन एव तकनीकी अनुमोदन के विरुद्ध वित्तीय वर्ष 2018–19 में कुल रु0 515,00,00,000/– (रुपये पॉच सौ पन्द्रह करोड) मात्र की लागत पर स्कीम (योजना) की पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति दी गयी है।

2– उक्त योजनान्तर्गत भवन निर्माण हेतु भारत सरकार, वित्त मंत्रालय के पत्राक–F No 44(1)/PF-S/2025-26(CAPEX) Bihar, दिनाक–22 07 2025, पत्राक–F No 44(1)/PF-S/2025-26(CAPEX)-Bihar-SACE-19, दिनाक–22 07 2025 एव वित्त विभाग के [illegible] वि0, दिनाक–30 07 2025 के द्वारा निर्माण का कार्य करने हेतु पूर्व स्वीकृत स्कीम (योजना) अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2025–26 में "Scheme for Special Assistance to State for Capital Investment for 2025–26 Under Part-I" अतर्गत रु0 25 00 करोड की राशि इस परियोजना हेतु स्वीकृत की गयी। विभागीय स्वीकृत्यादेश सं०–277(7), दिनाक–02.09 2025 द्वारा उक्त स्वीकृत राशि रू० 25 00 करोड के विरूद्ध रू० 15 00 करोड मात्र के व्यय की स्वीकृति दी जा चुकी है।

3– पुनः भारत सरकार, वित्त मत्रालय के पत्राक– F.No.44(1)/PF-S/2025-26(CAPEX)-Bihar-SACE-78, दिनांक–31 12 2025 एवं वित्त विभाग के पत्राक–1049/वि0, दिनाक–31 12 2025 द्वारा इस परियोजना हेतु "Scheme for Special Assistance to State for Capital Investment for 2025-26 Under Part-I" अतर्गत द्वितीय किस्त के रूप मे राशि विमुक्त की गयी है।

4– इस योजना हेतु अब तक आवटित राशि का विवरण निम्नरुपेण है–

क्र0 सं0	वित्तीय वर्ष	राशि (रु0 मे)	आवटनादेश स0 एवं दिनाक
1	2020–21	40,70,00,000	स0–33(1), दिनाक–15 01 2021
2	2023–24	5,00,00,000	स0–528(7), दिनाक–23 02 2024
3	2024–25	1,00,00,000	स0–47(7), दिनाक–27 05 2024
4	2024–25	60,00,00,000	स0–135(7), दिनाक–21 08 2024
5	2024–25	65,93,00,000	स0–308(7), दिनाक–23 12 2024
6	2024–25	30,15,00,000	स0–592(7), दिनाक–28 03 2025
7	2025–26	15,00,00,000	स0–277(7), दिनाक–02 09 202
8	2025–26	10,00,00,000	स0–353(7), दिनाक–06 1
9	2025–26	20,00,00,000	स0–15(7A), दिनाक–14 01 202
	कुल योग–	**2,47,78,00,000/-**	

5— उक्त परिप्रेक्ष्य मे "विकसित बिहार के सात निश्चय" अंतर्गत राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, बेगूसराय के निर्माण हेतु बिहार चिकित्सा सेवाएँ एवं आधारभूत संरचना निगम लि0, पटना से प्राप्त रु0 560.9374 करोड के प्राक्कलन एवं तकनीकी अनुमोदन के विरूद्ध वित्तीय वर्ष 2018—19 में कुल रु0 515,00,00,000/— (रुपये पॉच सौ पन्द्रह करोड) मात्र की लागत पर स्वीकृत योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2025—26 मे "Scheme for Special Assistance to State for Capital Investment for 2025—26 Under Part-I" अतंर्गत द्वितीय किस्त के रूप में विमुक्त राशि के विरूद्ध अवशेष राशि रु0 10,00,00,000/—(रुपये दस करोड) मात्र के व्यय की स्वीकृति दी जाती है।

6— उक्त कार्य बिहार चिकित्सा सेवाएँ एवं आधारभूत संरचना निगम लि०, पटना द्वारा स्वास्थ्य विभागीय राज्यादेश सं0—308(1), दिनांक—07.03.2019 में निहित्त शर्तो के आधार पर किया जायेगा।

7— इस राशि के व्यय का वहन मांग संख्या—20, मुख्य शीर्ष—4210—चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूँजीगत परिव्यय—03—चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसधान—050—भूमि— 0103—नए चिकित्सा महाविद्यालय एव पारा मेडिकल संस्थान हेतु, विपत्र कोड—20—4210030500103 अन्तर्गत विषय शीर्ष 53—मुख्य निर्माण कार्य के 0103—53—01 मुख्य निर्माण कार्य ईकाई में उपबंधित राशि/अनुपूरक आगणन से प्राप्त राशि से किया जायेगा।

8— राशि के निकासी एव व्ययन पदाधिकारी, अवर सचिव—सह—निकासी एव व्ययन पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना होगे तथा नियत्री पदाधिकारी, निदेशक प्रमुख (प्रशासन), स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना होगे।

9— वित्त विभागीय पत्र संख्या—632वि०, दिनाक—04.07.2023 के क्रम मे निर्गत वित्त विभागीय पत्र सख्या—10792/वि०, दिनाक—06.12.2023 के क्रम में "Scheme for Special Assistance to State for Capital Investment for 2025-26" के लिए पूंजीगत परियोजनाओं से सबंधित चालू योजनाओ के वित्त पोषण हेतु लोन की राशि से बकाया भुगतान के लिए कार्यान्वयन एजेन्सी (BMSICL) के पी० एल० खाता मे हस्तान्तरित करते हुए इसके दूसरे दिन राशि को सबधित बैक खाते मे हस्तान्तरित कर व्यय किया जाना है। अतएव अवर सचिव सह—निकासी एव व्ययन पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना बी0टी0सी0 फॉर्म—46 मे तैयार विपत्र के माध्यम से राशि निगम के पी0एल0 एकाउन्ट स0—PBBPLA007 विपत्र कोड—00-8448001110002-0001 के अन्तर्गत ledger ID मे जमा करेगे, जिसे कार्यान्वयन एजेन्सी (BMSICL) के पी० एल० खाता मे हस्तान्तरित करते हुए इसके दूसरे दिन राशि को सबधित बैंक खाते मे हस्तान्तरित कर दिशा—निर्देश के अनुरूप विधिवत् प्रक्रिया अपनाते हुए व्यय करेगे।

10— वित्त विभागीय पत्राक—432/वि०, दिनाक—29.03.2023 एवं पत्रांक—1049/वि0, दिनाक—31.12.2025 के आलोक में ससमय उपयोगिता प्रमाण—पत्र GFR 12B में विभाग के माध्यम से विहित प्रपत्र में तैयार कर वित्त विभाग को निगम के द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा। साथ ही, पी०एल० एकाउन्ट का धन ऋण ज्ञापन (Plus-Minus Memoranda) तथा पी० एल० खाते मे प्राप्ति का चालान एवं व्यय के सुसगत वाउचर/उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ विहित प्रपत्र मे ससमय कोषागार पदाधिकारी के माध्यम से महालेखाकार को प्रेषित करना सुनिश्चित करायेंगे एव इसकी प्रति विभाग को भी उपलब्ध करायेगे।

11— यह व्ययादेश वित्त विभाग के परिपत्र सख्या—2561/वि0(2), दिनाक—17.04.98, 2880/वि0(2), दिनांक—06.05.06 एव 2938/वि0(2), दिनाक—08.04.08, 2199/वि0, दिनाक—24.03.2017, 3758/वि0, दिनांक—31.05.2017 एव 12888/वि0, दिनाक—03.12.2024 के आलोक मे निर्गत किया जा रहा है।

12— इस राशि की निकासी सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना से की जाएगी। राशि की निकासी के मामले मे महालेखाकार, बिहार, पटना के प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नही है।

13 – प्रस्ताव एव प्रारूप पर माननीय मत्री, स्वास्थ्य का अनुमोदन प्राप्त है।

14— प्रारूप में आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या—1/विविध—10/2019 के पृष्ठ 65/टि0 मे प्राप्त है।

15— यह मात्र स्वीकृत्यादेश है। आवंटन CFMS के माध्यम से निर्गत किया जायेगा।

विश्वासभाजन

(शंभु शरण)

सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांकः—1/विविध—10/2019— 92 (7A) /स्वा0, पटना, दिनांक— 24/02/2026

प्रतिलिपिः— महालेखाकार (लेखा परीक्षा), बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना/योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/वित्त विभाग (बजट शाखा), बिहार, पटना/प्रमंडलीय आयुक्त, मुंगेर/जिलाधिकारी, बेगूसराय/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना/अवर सचिव—सह—निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः—माननीय मत्री, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/सचिव, स्वास्थ्य के प्रधान आप्त सचिव/आतरिक वित्तीय सलाहकार, स्वास्थ्य विभाग/निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना/लेखा शाखा (दो प्रतियों मे), स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः— प्रबंध निदेशक, बिहार चिकित्सा सेवाएँएव आधारभूत सरचना निगम लिमिटेड, स्वास्थ्य भवन, शेखपुरा, पटना को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः— आई0टी0 मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

सरकार के अपर सचिव।